


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश


माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु बजट घोषणा की पालना में नव निर्मित जिलों हेतु कार्गिक (क-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प. 5(1) कार्गिक/क-1/2023 दिनांक 15.05.2023 द्वारा नव निर्मित जिलों हेतु विशेषाधिकारी की नियुक्ति की गई है।

अतः उक्त नवसृजित जिलों के मुख्यालय वाले ब्लॉक में पदस्थापित विभाग के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पाबन्द किया जाता है कि संबंधित विशेषाधिकारी से समन्वय स्थापित कर नव निर्मित जिलों में विभाग के कार्यालय स्थापित किये जाने एवं उन कार्यालयों में पद सृजन एवं भूगि-भवन व कार्यालय स्थापित किये जाने संबंधी रागरत प्रक्रिया करेंगे एवं नियमों के परिपेक्ष में सम्पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय को प्रेषित करेंगे।


(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-माध्य/साप्र/बी-2/नवीन जिला/2023/01 दिनांक:- 25.05.2023
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेषाधिकारी, बालोतरा/सांचोर/कुचामन-डीडवाना/केकड़ी/कोटपूतली-बहरोड़/नीम का थाना/गंगापुरसिटी/अनूपगढ़/डीग/खैरथल/फलोदी/सलूमबर/शाहपुरा/ब्यावर/दूदू।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. संबंधित जिला कलक्टर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
7. उप निदेशक, माध्यमिक कार्यालय हाजा।
8. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बालोतरा/सांचोर/कुचामन-डीडवाना/केकड़ी/कोटपूतली-बहरोड़/नीमकाथाना/गंगापुरसिटी/अनूपगढ़/डीग/खैरथल/फलोदी/सलूमबर/शाहपुरा/ब्यावर/दूदू।
11. स्टाँफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।


उप निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर